


व्यक्तिगत कार्यवाही के लिए आवेदन विभाग

TI 142/18

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p><u>9/11/23</u></p>	<p>पञ्जावणी आपस पेश हुई वकील वकीला अपठ नही वादिया प्राचीया व उनके वकील का बार-बार आवाज दिगाई गई कोई अपील नही वादिया व वकील वादिया को अन्तिम आवाज साथ 5:45 पर दिगाई गई कोई अपठ नही अतः प्राचीया का गठपत्र बरक धरती व अरुण शर्मा से पारित किया जाकहे। पञ्जावणी सम्बन्ध से एक एके काद तकनीक मुक्त काद के साथ संलग्न होकर साक्षि दफ्तार ही सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  उप-सुपड अधिकारी यूपर (द्वितीय) </p>

